

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 14/10/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 14/10/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री जगदीश चंद्र, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 23/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 23/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 23/09/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) जिंदल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करना।

2.1 श्री एस के जिंदल, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और सादे सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को समझाया। चर्चा के दौरान, उन्होंने समिति से मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत सादे सोने के आभूषणों दोनों को अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने

सुरेन्द्र मलिक

आगे बताया कि डीजीएफटी कार्यालय द्वारा नामित अभिकरण के रूप में सभी निजी संस्थाओं को हटाने से पहले, वे नामित अभिकरण में से एक थे।

2.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने केवल पूर्णतः मशीनीकृत सादे स्वर्ण आभूषणों के लिए ही अनुमान दिया था, जिसमें 2% का प्रस्तावित मूल्य संवर्धन था।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स जिंदल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

- (i) डीजीएफटी कार्यालय द्वारा उन्हें पहले जारी किए गए नामित एजेंसी प्रमाण पत्र की प्रति;
- (ii) दोनों कंपनियों अर्थात् जिंदल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जिंदल डाइकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिट की गई बैलेंस शीट की प्रति।
- (iii) संशोधित फॉर्म-एफ जिसमें मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत सादे सोने के आभूषणों के लिए संशोधित अनुमानों और अलग-अलग मूल्य संवर्धन अनुमानों के साथ प्रस्तावित पूर्ण अधिकृत संचालन का उल्लेख हो।
- (iv) दूसरे निदेशक के बायोडेटा के साथ फाइल/कार्यसूची पर देखी गई अन्य कमियों का सुधार।

2.4 अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय को आवेदक के उत्तर की जांच करने और फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA जारी करने के लिए अंतिम अनुमोदन देने के लिए सशक्त बनाया।

(3) नीलकंठ ज्वेल्स - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1 श्री विनोदभाई प्रेमजीभाई मालवीय, भागीदार और श्री विपुल टंडेल, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। हालांकि, प्रतिनिधि प्रस्तावित परियोजना के लिए व्यवसाय योजना और धन के स्रोतों को संतोषजनक ढंग से नहीं समझा सके। उन्होंने समिति को बताया कि मेसर्स श्री ज्वेल्स एलएलसी, यूएसए के मालिक श्री जीमी पटेल उनके लिए निर्यात ऑर्डर प्राप्त करेंगे और उनके संचालन का समर्थन करेंगे।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसने आवेदक को प्रस्तावित परियोजना के लिए स्पष्ट निधि प्रवाह विवरण, आवेदक की निवल संपत्ति, श्री ज्वेल्स एलएलसी के मालिक श्री जीमी पटेल का विवरण और आवेदक के साथ उनके विशिष्ट व्यावसायिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आवेदक से उत्तर और भारतीय दूतावास से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फाइल पर आवेदन की जांच करने और पूरी जानकारी के साथ इसे प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

(4) पीएस ऑटोटेक इंटरनेशनल एलएलपी - स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा और प्रदर्शन की निगरानी।

सुरेंद्र मलिक

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रवीश दीक्षित अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को भागीदारों में कालानुक्रमिक परिवर्तन, मुख्यालय का पता और लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने ईएम अनुभाग, एनएसईजेड को पीपी अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने निगरानी के लिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(5) नियोक्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड - मौजूदा अधिकृत परिचालनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

5.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने इकाई को वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

(6) एम.डी. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने के लिए दी गई अनुमति दिनांक 21/09/2024 का अनुसमर्थन।

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अमित मित्तल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने अतिरिक्त अधिकृत परिचालन की वार्षिक उत्पादन क्षमता नहीं बताई है।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को अतिरिक्त अधिकृत संचालन यानी सादे सोने के आभूषण (पूरी तरह से मशीनीकृत नहीं) (71131911) के विनिर्माण को अपने स्वीकृति पत्र (LOA में शामिल करने के लिए 21/09/2024 को दी गई अनुमति की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने इकाई को उपरोक्त अधिकृत संचालन के लिए प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(7) कर्ण अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

7.1 श्री समीर खोसला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्तावित उत्पादों की प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता और संशोधित अनुमानों को प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को वर्ष 2023-24 के लिए एपीआर तुरंत प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

(8) विजयश्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - (i) कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन; (ii) तीसरे पक्ष के निर्यात के लिए अनुमति का अनुरोध और (iii) प्रदर्शन की निगरानी।

सुरेंद्र मलिक

8.1 फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरि मोहन गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गुप्ता ने कहा कि निर्यात तीसरे पक्ष द्वारा किया जा रहा था जो व्यापारी निर्यातक था। जबकि शिपिंग बिल में इकाई और तीसरे पक्ष दोनों का नाम था, तीसरे पक्ष द्वारा प्रेषण विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया था। इसके बाद एसईजेड इकाई को तीसरे पक्ष द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान किया गया।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने ईएम डिवीजन, एनएसईजेड को नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

8.3 अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के निर्यात के मॉड्यूल पर अन्य एसईजेड और एनएसईजेड सीमा शुल्क से टिप्पणियां प्राप्त करने का निर्देश दिया और वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) में निवल विदेशी मुद्रा की गणना के लिए लिया। अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव और इकाई को आगे तीसरे पक्ष के निर्यात की अनुमति देने के अपने फैसले को भी स्थगित कर दिया।

(9) आर के रिटेल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड – निर्यात और प्रदर्शन की निगरानी के उद्देश्य से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से व्यापारिक सामान खरीदने की अनुमति के लिए अनुरोध।

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री ख्यालीराम पांडे अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। यह संकेत दिया गया कि निर्यात आदेशों के लिए उनकी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई द्वारा निर्मित माल लेना आवश्यक है।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई से व्यापारिक माल खरीदने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह माल के भौतिक निर्यात के उद्देश्य से होगा। यह मेसर्स रामाशंकर लक्ष्मीनारायण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड से व्यापारिक माल के अनिवार्य आयात के अतिरिक्त है, जैसा कि इसके स्वीकृति पत्र (LOA) में पहले से ही शर्त लगाई गई है।

(10) ओरिटेक्स एक्सपोर्ट्स एलएलपी – स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

10.1 निदेशक श्रीमती शर्मिला पिलानिया ने अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि विदेश से निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने के लिए उन्हें कपड़े के नमूने ग्राहकों को अनुमोदन के लिए भेजने होंगे।

10.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2021-22 से कोई निर्यात नहीं किया है। इसके अलावा, 2020-21 में केवल 0.29 लाख रुपये का निर्यात हुआ। श्रीमती पिलानिया ने बताया कि भवन निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए वे नियमित उत्पादन शुरू नहीं कर सके। अब, भवन पूरा हो गया है और वे निर्यात उत्पादन शुरू करने की स्थिति में हैं।

सुरेंद्र मलिक

10.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित अधिकृत परिचालनों के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

(i) इकाई द्वारा आपूर्ति की गई सूची के अनुसार आईटीसी एचएस अध्याय 61, 62, 63, 65 के तहत रेडीमेड कपड़ों का विनिर्माण।

(ii) कपड़ों के नमूनों (आईटीसी एचएस अध्याय 52, 53, 54, 55, 56, 60 के तहत) को उनके संभावित खरीदारों को निर्यात करने की अनुमति।

यह प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं की उत्पादन क्षमता और वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) प्रस्तुत करने के अधीन है।

(11) निक्का मल ज्वैलर्स - पर्याप्त निर्यात ऑर्डर प्राप्त होने के बाद स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कुछ समय देने तथा निकास आवेदन को रद्द करने का अनुरोध।

11.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि 01/03/2017 को आयोजित अपनी बैठक में समिति ने स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में आगे विस्तार के लिए इस मामले में कोई योग्यता नहीं पाई तथा तदनुसार इसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, इसने यह भी पाया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 05/07/2016 को समाप्त हो गया तथा परिणामस्वरूप स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता के साथ-साथ लीज अधिकार भी एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त हो गया।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के अनुरोध से सहमत नहीं हुई और इकाई को जल्द से जल्द बाहर निकलने की औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने संपदा प्रबंधन अनुभाग को बकाया पट्टा किराया प्राप्ति और उसे आवंटित स्थान पर कब्जा लेने के लिए पीपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इकाई के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

(12) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - प्लॉट संख्या 129जी/64, एनएसईजेड में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का बाहर निकलना और हस्तांतरण, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार मेसर्स एलीट बास्केट प्राइवेट लिमिटेड को।

12.1 मेसर्स सनग्लास पैलेस के अधिकृत प्रतिनिधि श्री योगेश कुमार और मेसर्स एलीट बास्केट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री कुशाग्र तिवारी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

12.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मेसर्स सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है। समिति ने प्लॉट संख्या 129जी/64, एनएसईजेड में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मेसर्स एलीट बास्केट प्राइवेट लिमिटेड को देने का फैसला किया।

सुरेंद्र मलिक

यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने और (iii) हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने कब्जे में लेने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त